



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. RKT/13/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

दिनांक: 18-06-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया – देवपुरी ब्रांच द्वारा प्रताड़ित करने बाबत – श्री राधेलाल कोरम ठाकुर, क्वा. नं. डी – 36, रोहणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़) का अभ्यावेदन।

संदर्भ: इस आयोग के पत्र समसंख्यक दिनांक 11/04/2018

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 03-07-2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्मिती कुमार
(डी. एस. कुमार)
अवर सचिव
दूरभाष-24657271

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,
युनाईटेड बैंक ऑफ
इंडिया,
11 हेमंत बसु सरणी,
कोलकता – 700001

शाखा प्रबंधक,
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया,
देवपुरी ब्रांच,
रायपुर रीजन जॉन,
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि:

श्री राधेलाल कोरम ठाकुर,
क्वा. नं. डी – 36,
रोहणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

0/1

473032
18/6/18